भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 49

भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008 -2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		221.42	56.30	277.72	178.42	56.87	235.29	157.76	57.20	214.96
पूंजी		*228.58*	*400.00*	*628.58*	*136.58*	*565.19*	*701.77*	*192.24*	*400.00*	*592.24*
जोड़		**450.00**	**456.30**	**906.30**	**315.00**	**622.06**	**937.06**	**350.00**	**457.20**	**807.20**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.40	7.29	8.69	1.40	7.54	8.94	1.70	8.19	9.89
उद्योग										
इंजीनियरिंग उद्योग										
2. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास	2852	...	25.00	25.00	...	24.75	24.75	...	25.00	25.00
3. राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण एवं आर एंड डी अवसरंचना परियोजना	2852	200.00	...	200.00	157.00	...	157.00	125.00	...	125.00
4. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	2852	...	...	...	...	0.57	0.57	...	...	...
5. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण	2852	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	24.00	...	24.00
6. गारंटी शुल्क का समापन										
6.01 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	2852	...	2.53	2.53	...	1.50	1.50	...	...	...
6.02 भारत भारी उद्योग निगम लि.	2852	...	0.56	0.56	...	0.56	0.56	...	...	...
6.03 एच.एम.टी. लि.	2852	...	4.69	4.69	...	4.69	4.69	...	...	...
	जोड़	...	*7.78*	*7.78*	...	*6.75*	*6.75*	...	...	...
6,04 *घटाइए*-निवल प्राप्तियां	0075	...	-7.78	-7.78	...	-6.75	-6.75	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2852	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	24.00
8. ऋण को बट्टे खाते डालना										
8.01 नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	2852	...	...	...	...	90.55	90.55	...	...	...
8.02 नागालैंड पल्प एंड पेपर कं. लि.	2852	...	...	...	...	29.87	29.87	...	...	...
8.03 भारत यंत्र निगम लि.	2852	...	...	...	...	1.10	1.10	...	...	...
8.02 *घटाइए*-निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-121.52	-121.52	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ब्याज की माफी										
9.01 नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि.	2852	...	...	...	...	138.08	138.08	...	...	...
9.02 नागालैंड पल्प एंड पेपर कं. लि.	2852	...	...	...	...	52.62	52.62	...	...	...
9.03 एंड्रयू यूल एंड क. लि.	2852	...	...	...	...	21.73	21.73	...	...	...
9.04 भारत यंत्र निगम लि.	2852	...	...	...	...	3.85	3.85	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	*216.28*	*216.28*	...	...	...
9.05 *घटाइए*-निवल प्राप्तियां	0049	...	...	...	...	-216.28	-216.28	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. ईक्विटी को कम दिखाना										
10.01 एंड्रयू यूल एंड क. लि.	2852	...	...	...	...	226.43	226.43	...	...	...
10.02 नेशनल इस्ट्रूमेंट्स लि.	2852	...	...	...	...	8.31	8.31	...	...	...
10.03 भारत यंत्र निगम लि.	2852	...	...	...	...	2.31	2.31	...	...	...
10.04 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-237.05	-237.05	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. ऋण को इक्विटी में बदलना										
11.01 एंड्रयू यूल एंड क. लि.	4858	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
12. अन्य व्यय	2852	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	7.06	0.01	7.07
13. भेल द्वारा बोनस शेयरों का निर्गम	4858	...	...	...	...	165.76	165.76	...	...	...
जोड़-उद्योग		**220.02**	**49.01**	**269.03**	**177.02**	**215.10**	**392.12**	**156.06**	**49.01**	**205.07**
14. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	100.00	...	100.00	84.29	...	84.29	55.00	...	55.00

सं.49/भारी उद्योग विभाग

(करोड़ रुपए)

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	4858	98.31	...	98.31	22.00	...	22.00	21.00	...	21.00
16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
इंजीनियरिंग उद्योग										
16.01 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.	6858	...	...	...	...	23.30	23.30	...	...	...
16.02 भारत यंत्र निगम लि.	6858	...	...	...	...	2.54	2.54	...	...	...
16.03 भारत भारी उद्योग निगम लि.	6858	...	...	...	...	2.24	2.24	...	...	...
16.04 एच.एम.टी. लि.	6858	...	...	...	...	17.16	17.16	...	...	...
16.05 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और सांविधिक बकायों के लिए एकमुश्त राशि	6858	...	250.00	250.00	...	216.08	216.08	...	250.00	250.00
16.06 नेशनल इन्सट्रूमेन्ट लि.	6858	...	...	...	...	0.18	0.18	...	...	...
16.07 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	6858	...	...	...	...	16.77	16.77	...	...	...
16.08 भारत ओप्थाल्मिक ग्लास लि.	6858	...	...	...	...	0.87	0.87	...	...	...
16.09 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. कोटा	6858	...	...	...	...	3.88	3.88	...	...	...
उपभोक्ता उद्योग										
16.10 नेपा लि.	6860	...	...	...	...	4.33	4.33	...	...	...
16.11 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की योजना के लिए एकमुश्त राशि	6854	...	150.00	150.00	...	96.44	96.44	...	150.00	150.00
16.12 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण. लि.	6860	...	...	...	...	15.63	15.63	...	...	...
जोड़ - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण		**...**	**400.00**	**400.00**	**...**	**399.42**	**399.42**	**...**	**400.00**	**400.00**
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4854	25.01	...	25.01	25.01	...	25.01	5.01	...	5.01
	4858	0.21	...	0.21	0.22	...	0.22	13.91	...	13.91
	4860	2.55	...	2.55	2.56	...	2.56	81.04	...	81.04
	6858	...	...	...	...	...	...	13.26	...	13.26
	6860	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.02	...	3.02
	जोड़	*30.27*	*...*	*30.27*	*30.29*	*...*	*30.29*	*116.24*	*...*	*116.24*
कुल जोड़		***450.00***	***456.30***	***906.30***	***315.00***	***622.06***	***937.06***	***350.00***	***457.20***	***807.20***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
इंजीनियरिंग उद्योग										
17.01 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	12858	...	836.00	836.00	...	836.00	836.00	...	1016.00	1016.00
17.02 एच.एम.टी.लि.	12858	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	1.00	1.05
17.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	12858	0.01	75.10	75.11	0.01	75.10	75.11	0.01	63.00	63.01
17.04 स्कूटर्स इंडिया लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	4.00	...	4.00
17.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.06 इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	12858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	3.52	...	3.52
17.07 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि.	12858	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
17.08 प्रागा-टूल्स लि.	12858	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	0.01	...	0.01
17.09 भारत यंत्र निगम लि.	12858	0.05	45.00	45.05	0.05	45.00	45.05	0.04	57.00	57.04
17.10 भारत भारी उद्योग निगम लि.	12858	0.05	8.00	8.05	0.05	8.00	8.05	19.52	...	19.52
17.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	12858	...	8.50	8.50	...	8.50	8.50	...	10.00	10.00
17.12 भारत अर्थ मूवर्स लि.	12858	0.01	3.98	3.99	0.01	3.98	3.99	...	2.49	2.49
17.13 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	12858	0.01	1.52	1.53	0.01	1.52	1.53	0.01	1.95	1.96
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग		**0.22**	**978.60**	**978.82**	**0.23**	**978.60**	**978.83**	**27.18**	**1151.44**	**1178.62**
उपभोक्ता उद्योग										
17.14 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	12860	5.01	355.88	360.89	5.02	355.88	360.90	78.01	1183.83	1261.84

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2007-2008 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	संशोधित 2007-2008 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट 2008 -2009 बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
17.15 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि.	12860	...	510.90	510.90	...	510.90	510.90	...	546.44	546.44
17.16 नेपा लि.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.17 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	12860	0.01	79.39	79.40	0.01	79.39	79.40	4.03	...	4.03
17.18 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	12860	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग		**5.04**	**946.17**	**951.21**	**5.05**	**946.17**	**951.22**	**84.05**	**1730.27**	**1814.32**
सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग										
17.19 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	12854	0.01	110.45	110.46	0.01	110.45	110.46	0.01	114.92	114.93
17.20 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन	12854	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	5.00	...	5.00
जोड़		**30.27**	**2035.22**	**2065.49**	**30.29**	**2035.22**	**2065.51**	**116.24**	**2996.63**	**3112.87**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	319.94	978.60	1298.54	200.64	978.60	1179.24	205.93	1151.44	1357.37
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	5.05	946.17	951.22	5.06	946.17	951.23	84.06	1730.27	1814.33
3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग	12854	25.01	110.45	135.46	25.01	110.45	135.46	5.01	114.92	119.93
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	100.00	...	100.00	84.29	...	84.29	55.00	...	55.00
जोड़		**450.00**	**2035.22**	**2485.22**	**315.00**	**2035.22**	**2350.22**	**350.00**	**2996.63**	**3346.63**

1. सचिवालयः इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. ऑटोमोटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकासः अनुसंधान संस्थानों अर्थात ए0आर0ए0आई0, पुणे, वी0आर0डी0ई0, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे तथा देश के अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए मोटर(ऑटोमोबाईल) और संबद्ध उद्योग विकास परिषद को अनुदान उपलबध कराने की व्यवस्था की गई हैं।

3. राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप): यह मोटरवाहन क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण पहल है जिसमें देश में अत्याधुनिक परीक्षण, वैधीकरण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का सृजन करने के लिए भारत सरकार, कई राज्य सरकारों तथा भारतीय मोटरवाहन उद्योग के बीच एक अनोखा गठजोड़ दर्शाया गया है। इस परियोजना में देश के सात स्थानों पर तीन वर्षों के दो चरणों में 1718 करोड रूपये का निवेश शामिल है।

अपेक्षित लचीलेपन, तीव्रता तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में सभी मुख्य स्टेक होल्डरों को शामिल करने को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार तथा मोटरवाहन उद्योग ने एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसायटी नामतः नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की स्थापना करने के लिए हाथ मिलाए है। यह नैट्रिप के कार्यान्वयन के लिए एक शीर्ष निकाय है तथा इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।

5. पूंजीगत माल क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए निधियां मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

7. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बैंक ऋणों की सरकारी व्यवस्था करने की स्कीम के तहत देय ब्याज के लिए प्रावधान है।

12. अन्य व्यय : इसमें फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है। प्रवाह मापन और नियंत्रण उपायों से संबंधित कार्य करने और भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में एक यूनएनडीपी परियोजना के रूप में एफसीआरआई की स्थापना की गई। इसमें संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए औद्योगिक संघों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भुगतान आयुक्त, कोलकाता को सहायता अनुदान शामिल है।

14. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान :** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एकमुश्त प्रावधानः यह प्रावधान भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए किया गया है। इसमें पुनरुद्धार पैकेजों के लिए योजना सहायता शामिल है।

16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को गैर-योजनागत ऋण : सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों को उनके संसाधनों की कमी को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए गैर-योजनागत ऋणों के लिए प्रावधान है। इसमें वीआरएस/ वीएसएस के कार्यान्वयन और कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं में कमी के व्यय के लिए 250.00 करोड रूपये का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों की पुनर्संरचना/पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150.00 करोड रूपये का एक अन्य एकमुश्त प्रावधान है।

16.01 एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लि0 (एवाईसीएल): इसे 1948 में निगमित किया गया था तथा 1979 में यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बन गई। कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माणकारी क्रियाकलापों में लगी हुई है। इस समय कंपनी की 6 इकाइयां है जो औद्योगिक पंखे और चाय मशीनरी, एच.टी. और एल.टी. बिजली के उपस्कर, कान्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डेड केस सरकिट ब्रेकर्स, विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर,वायु-प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का कार्य करती है। एक पुनर्संरचना योजना कार्यान्वित की गई है।

16.02 भारत यंत्र निगम लि0 (बीवाईएनएल): इसे 1986 में नियंत्रक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसकी छःसहायक कंपनियों अर्थात भारत हेवी प्लेट्स एवं वैसल्स, भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर लि0, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि0, रिचर्डसन एंड क्रूडास लि0 (1972) और ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि0 हैं। कंपनी का कारपोरेट कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। सहायक कंपनियों के संबंध में पुनरुद्धार प्रस्ताव बीआरपीएसई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसने बी एंड आर, बीपीसीएल, टीएसपीएल और टीएसएल के पक्ष में सिफारिश की है। बी एंड आर के अनुमोदित पुनरुद्धार प्रस्ताव

को कार्यान्वित कर दिया गया है। बीपीसीएल के मामले में पुनरुद्धार प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन है।

16.03 भारत भारी उद्योग निगम लि0 (बीबीयूएनएल): एक नियंत्रित कंपनी के रूप में इसकी संस्थापना 1986 में की गई जिसमें सात सहायक कंपनियां अर्थात बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि0 (बीएससीएल), जेसप एण्ड कंपनी लि0 (जेसीएल), ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि0 (बीसीएल), भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि0 (बी.डब्ल्यू.ई.एल.), ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि (बीबीजे), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि0 (बीपीएमईएल) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लि0 (एलजेएमसी) शामिल हैं। इनमें से दो सहायक कंपनियों नामतः जेसीएल और एलजेएमसी के संबंध में अधिकांश शेयरधारिता सही भागीदारों को स्थांतरित कर दिया गया है। बीपीएमईएल और इसकी सहायक कंपनी वेवर्ड इंडिया लि0 (डब्ल्यूआईएल) को बंद कर दिया गया है ओर कंपनी को परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। बीएसईएल की सात हानि उठा रही रिफ्रेक्टरी इकाइयों और दो सहायक कंपनियों अर्थात बीबीवीएल और आरबीएल को बंद कर दिया गया है। बीबीयूएनएल की चार प्रचालनशील सहायक कंपनियों में से तीन कंपनियां नामतः बीएससीएल, बीसीएल, बीडब्ल्यूईएल रूग्ण थी तथा बीआईएफआर के संदर्भाधीन थी। मै0 बीबीजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के कारण रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एसआईसीए) के क्षेत्राधिकार में नहीं थी। हालांकि, सरकार की नीति में परिवर्तन तथा लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन होने से इन चार कंपनियों का वित्तीय पुनर्संरचना के जरिए पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। बीआरपीएसई ने पहले ही बीसीएल, बीडब्ल्यूईएल और बीबीजे का पुनरुद्धार करने की सिफारिश की है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा बीसीएल और बीबीजे का पुनरुद्धार किया गया, जबकि बीडब्ल्यूईएल के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें विचाराधीन है। बीएससीएल के संबंध में बीआरपीएसई के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुनर्संरचना/पुनरुद्धार प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

16.04 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि0 (एचएमटी): इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह कम्पनी धीरे-धीरे एक प्रमुख बहु एकक और बहु वाली उत्पाद कम्पनी बन गये जिसमें 16 एकक और 22 उत्पाद प्रभाग हैं जो देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैले हुए है। यह कम्पनी अति सूक्ष्म (हाई प्रिसिशन) मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रेक्टर, हाथ की घडियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है। एच एम टी की चार अलाभकारी इकाइयों को बंद कर दिया गया है। बाद में एक संगठनात्मक पुनर्संरचना के रूप में इसकी घडी, मशीन टूल्स, बेयरिंग और अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार समूहों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नामतः एचएमटी वाचिज लि0, एचएमटी मशीन टूल्स लि0, एचएमटी बेयरिंग्स लि0 और एचएमटी चिनार वाचिज लि. और एचएमटी (इन्टरनेशनल) लि0 में परिवर्तित कर दिया गया है। एचएमटी बेयरिंग्स लि0 के लिए पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित कर दिया गया है। एचएमटी मशीन टूल्स लि0 का पुनरुद्धार प्रस्ताव अब मत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

16.05 वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त प्रावधान : इसमें वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन तथा कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं के कम करने के लिए 250 करोड रूपये का एकमुश्त प्रावधान शामिल है।

16.06 नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि0 (एनआईएल): कंपनी को वर्ष 1957 में निगमित किया गया। यह मुख्य रूप से सर्वेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल और ऑप्टो-इलेक्ट्रोनिक यंत्रों के निर्माण में लगी हुई है। इस समय यह कंपनी सर्वेक्षण यंत्रों के भी लेन-देन कारोबार में भी लगी है जो अधिकांशतः निर्यात मदें है। इसमें व्यवहारिक तौर पर कोई आन्तरिक उत्पादन नहीं होता है।

16.07 हिन्दुस्तान केबल्स लि0 (एचसीएल): भारत सरकार के उपक्रम, एचसीएल का निगमन 1952 में किया गया था और यह कंपनी दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही थी। इसकी तीन यूनिटें हैं जो रूपनारायणपुर, (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में कार्यरत है और इसका एक पृथक टर्नकी प्रोजेक्ट प्रभाग है। कंपनी बीआईएफआर द्वारा वर्ष 2002 से रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एचसीएल के भविष्य के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बीआरपीएससी की पुनर्संरचना बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बीआरपीएसई की 11 सितंबर, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि यूनिटवार और पूरी कम्पनी का समग्र तौर पर एचसीएल की विस्तृत हॉलिस्टिक अध्ययन और कंपनी को समग्र रूप से आईआईटी खड़गपुर में आरंभ किया जाए। आईआईटी, खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा डीएचआई ने एचसीएल का भविष्य निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 17.08.2007 को वीआरपीएसई के रिपोर्ट भेज दी है। वीआरपीएसई द्वारा दिनांक 09.01.2008 को मामले पर विचार किया गया और उनकी सिफारिशों की प्रतिक्षा है।

16.08 भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि0 (बीओजीएल): भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि0 (बीओजीएल) की स्थापना सन् 1972 में की गई थी और इसने नेशनल इंन्सट्रमेंट्स ऑप्थाल्मिक ग्लास लि0 से दुर्गापुर स्थित औप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र को अपने कब्जे ले लिया है। इस कंपनी ने ऑप्थाल्मिक ब्लैंक्स, फिंट बटन, ऑप्टिकल ग्लास रेडिएशन शील्डिंग विंडो (आरएसडब्ल्यू) ग्लास, और विशेष गुणवत्ता वाले ओप्टिकल ग्लास के उत्पादन के लिए सुविधाएं मौजूद है। यह कंपनी रूग्ण हो गयी और बीआईएफआर को सौंप दी गई थी। बीआईएफआर ने इस कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी के प्रचालन को मार्च, 2003 से रोक दिया गया है। बीआरपीएसई की सिफारिश पर सरकार ने इस ईकाई को बंद करने और कंपनी को समाप्त करने के लिए बीआईएफआर की सिफारिश को मंजूर करने का निर्णय लिया है।

16.09 इन्स्ट्रूमेंटेशन लि0 (आईएलके): इसे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में निगमित किया गया।

16.10 नेपा लि0 (नेपा): नेपा लिमिटेड जो मूलतः "दि नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि0" के नाम से जानी जाती थी की स्थापना जनवरी, 1947 में हुई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन तथा विक्रय करना है। कंपनी ने अपना प्रचालन रद्दी कागज के आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने दिनांक 31.12.2004 तक वित्तीय पुनर्संरचना तथा पेपर उद्योग में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम गठन की सिफारिश की है जिसके विफल होने पर निजी भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम गठन 74% से 100% बढ सकता है।

16.11 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पुनर्संरचना/पुनरुद्धार स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान : इसमें सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उद्यमों की पुनर्संरचना/पुनरुद्धार स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 150.00 करोड रूपये का एकमुश्त प्रावधान शामिल है।

16.12 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि0 (एचपीएफ): वर्ष 1960 में निगमित यह कंपनी फोटों से सिटाइज्ड फिल्मों सिने पाजिटिव (श्वेत व श्याम) सिने फिल्म, ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। यह वर्ष 1992-93 से प्रति वर्ष लगातार हानि उठा रही है। इसका निवल मूल्य ऋणात्मक होने के बाद इसे वर्ष 1995 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की। बीआईएफआर द्वारा बंद करने के आदेश के विरूद्ध विभिन्न एजेंसियों द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर) के समक्ष अपील दायर की गई। एआईएफआर इन अपीलों को खारिज कर दिया। हांलाकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने मजदूर संघों द्वारा दायर किये गये अपील के आधार पर एआईएफआर तथा बीआईएफआर के आदेशों की कार्यवाही पर "अंतरिम स्थगन" की मंजूरी दी। इससे पूर्व, मै0 ए0एफ0 फर्गुशन को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके एक तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से कंपनी के लिए दीर्घावधि आधार पर पुनरुद्धार के लिए कोई लाभप्रद

विकल्प का सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद, विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी की संसदीय स्थाई समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के संबंध में आगे अध्ययन करने के लिए मै0 अर्नेस्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया। परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

17. सरकारी उद्यमों में निवेशः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ऋण और ईक्विटी के रूप में बजटीय सहायता मुहैया कराना, विशेष रूप से 50:50 के अनुपात में, चल रही स्कीमों के विकास, विविधीकरण, अवरोधों को दूर करने, आधुनिकीकरण करने, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि के लिए उनकी व्यवहार्यता और कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु है।

17.01 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि. (भेल): इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह इस्पात, उर्वरक धात्विक और खनिज उद्योगों जैसे अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ बिजली बोर्डों के लिए परिवहन उपस्कर और विद्युत उत्पादन उपस्करों, सम्प्रेषण उपकरणों के विनिर्माण,सप्लाई, स्थापना और उन्हें चलाने के कार्यों में संलग्न हैं। इसके 14 विनिर्माण प्रभाग, 8 सेवा केंन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्रक क्षेत्रीय केंद्र हैं। कम्पनी ने भारत और विदेशों में टर्नकी आधार पर विद्युत स्टेशनों की आपूर्ति की है।

17.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी): इसे आयरन और स्टील उद्योग तथा खनन और धातुकर्मीय उद्योग जैसे अन्य मुख्य क्षेत्र के उद्योगों के लिए उपस्कर और मशीनों के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से दिनांक 31.12.1958 को निगमित किया गया था।

17.04 स्कूटर्स इंडिया लि. (एसआईएल): इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अब यह तिपहियों के विनिर्माण में लगी है। आईएफआर ने पुनरूद्धार/ पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की थी। इसने लाभ अर्जन करना आरंभ कर दिया है और वीआईएफआर के दायरे से बाहर आ गई है।

17.06 इंस्ट्रुमेंटेशन लि.: इसमें आईएलके द्वारा राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटस लि. में निवेश के लिए 0.51 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

17.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआईएल) इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग तथा उत्पादन सुविधाएँ और भारत तथा विदेशों में टर्नकी आधार पर औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित आपूर्ति और स्थापना क्रियाकलापों के लिए पब्लिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों व उत्पादन सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग करना है।

वर्ष 2001 में ईपीआई के वित्तीय पुनर्गठन के बाद से कम्पनी पिछले तीन साल से लाभांश का भुगतान कर रही है। सरकार ने मई, 2006 में ईपीआई को लघु-रत्न श्रेणी-II की स्थिति प्रदान की है।

17.12 राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लि. (आरईआईएल): इसकी स्थापना वर्ष 1981 में इलैक्ट्रोनिक्स मिल्क टेस्टर्स के विनिर्माण के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन लि., कोटा और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि., जयपुर द्वारा की गई थी। आरईआईएल एक लघु रत्न कम्पनी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलैक्ट्रानिक्स, गैर-परामपरागत ऊर्जा प्रणालियां और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने नेतृत्व को बनाए रखना है।

17.13 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (टीसीआईएल): कम्पनी की स्थापना भारत सरकार के पूर्ण तथा स्वामित्वाधीन उद्यम के रूप में 1984 में की गई थी। यह टायरों का निर्माण करती है और पुनरूद्धार की जाने वाली लम्बित अन्य टायर कम्पनियों के लिए परिवर्तन कार्य भी करती है। बीआरपीएसई ने इसके पुनरूद्धार के लिए वित्तीय पुनर्संरचना और नीतिगत भागीदारों के लिए स्थल की सिफारिश की है।

17.14 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.(एचपीसी): इसकी स्थापना देश में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज मिलों की स्थापना के उद्देश्य से 1970 में की गयी थी। इसकी दो यूनिटें और तीन अनुषंगी कम्पनियां हैं। एचपीसीएल को 3.1.2007 से पीएसई अनुसूची "क" के रूप में उन्नत किया गया है। इसका प्रस्ताव यू.पी पेपर मिल, जगदीशपुर (यू.पी) में नई परियोजना आरम्भ करने का भी है जिसमें कागज का निर्माण होगा। यूपी पेपर मिल एचपीसीएल की अनुषंगी कम्पनी होगी। व.अ. 2008-09 में यू.पी. पेपर मिल के लिए 78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

17.15 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल): को एचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी के रूप में 2.6.1983 को पंजीकृत किया गया था जिससे वह चल रहे कारोबार के रूप में 1.10.1983 से एचपीसी की एक यूनिट तत्कालीन केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट के कारोबार को अधिगृहित करने हेतु किया गया था। आरम्भ में मिल की स्थापित क्षमता 80,000 टन थी जो 1994-95 से बढ़कर 1.00,000 टन प्रतिवर्ष हो गयी है। एचएनएल वर्ष 1988-89 से सिवाय वर्ष 2002-03 को छोड़कर, लाभ कमा रही है। एचएनएल को 3.1.2007 से पीएसई की अनुसूची "ख" के रूप में बढ़ा दिया गया है।

17.17 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटड (एचएसएल): इसकी स्थापना 12.4.1958 को भारत सरकार के पूर्णतया स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा पूर्व में संचालित सांभर, डिडवाना और खारागोधा के नमक स्रोतों को अधिग्रहित करने के लिए की गई थी। नमक के विनिर्माण में लगा यह एकमात्र केन्द्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कम्पनी ने 1959 से अपना व्यवसाय आरम्भ किया था। बाद में, सरकार की मंडी (हिमाचल प्रदेश) स्थित नमक खानों का भी इसके द्वारा 1.5.1963 को अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद, सांभर झील नमक स्रोत का हस्तांतरण नव निर्मित अनुषंगी कम्पनी, सांभर साल्टस लि. को 30.9.1964 को कर दिया गया जो वी.टी. कृष्णमाचारी पंचाट के अनुसार था। बीआरपीएसई की सिफारिशों और सरकार के अनुमोदन पर हिन्दुस्तान साल्टस लि. (एचएसएल) के संबंध में वित्तीय संस्थाओं से ऋण उगाहने के लिए 4.28 करोड़ रुपए की सरकारी गारन्टी सहित सरकारी ऋण और ब्याज जो 69 करोड़ रुपए बैठती है और पूंजी व्यय 8.56 करोड़ रुपए को माफ कर देने के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वनाधीन है।

17.19 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (सीसीआई): यह कंपनी सीमेंट के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने में सहायता करने तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकारी सीमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से जनवरी, 1965 में स्थापित की गई थी। एक पुनर्निर्माण/पुनद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है।

17.20 पीएसई में संवर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन के लिए एकमुश्त प्रावधानः एक मुश्त प्रावधान जो बाद में विभाग के अन्तर्गत अन्य पब्लिक उद्यमों के पक्ष में पुनः विनियोजित किया गया, जो उनकी निधियों की आवश्यकताओं के अनुसार नई सेवाओं/सेवाओं के नए उपस्करों के प्रावधान को देखते हुए सरकारी अनुमोदन पर आधारित स्कीमों के संवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन के लिए है।

http://indiabudget.nic.in